एफ. सं. के-11011/30/2023-सीबी-भाग(1)
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
****

दिनांक 24 मई, 2024 को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की तीसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2024-25 के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तीसरी बैठक 24 मई, 2024 को जीवन भारती भवन, नई दिल्ली में सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

2. पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष, सीईसी के सदस्यों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, संयुक्त सचिव (सीबी), पंचायती राज मंत्रालय/सदस्य सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का एजेंडा शुरू किया।

3. केंद्रीय एजेंडा: तीन केंद्रीय एजेंडा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए।

3.1 एजेंडा आइटम-1: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता।

3.1.1 इस एजेंडा मद के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष निम्नलिखित तीन प्रस्ताव रखे गए:

(i) पंचायत योजना एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ (पीपीईसी) के अंतर्गत 4 परामर्शदाताओं की लागत को पूरा करने के लिए 1.33 करोड़ रुपये की राशि।

(ii) पंचायती राज मंत्रालय में 'डेटा इनसाइट्स यूनिट (डीआईयू)' की स्थापना के लिए ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत 1.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

(iii) कमी को पूरा करने के लिए 7 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, क्योंकि 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार केवल 13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो प्रस्तावित 20 करोड़ रुपये से कम है।

3.1.2 पीपीईसी सेल के संबंध में, सीईसी को अवगत कराया गया कि ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के लिए राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) की स्थापना एमओपीआर और एनआईसी/एनआईसीएसआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई है। एमओपीआर और एनआईसी/एनआईसीएसआई के बीच हस्ताक्षरित अलग समझौता ज्ञापन के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रभाग में प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल और आरजीएसए-एमआईएस को संभालने के लिए एक पीपीईसी भी स्थापित किया

गया है। तदनुसार, विभिन्न इकाइयों/प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई से निपटने के लिए एकल नोडल बिंदु बनाने के लिए एमएमपी के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान 1.33 करोड़ रुपये (एनआईसीएसआई शुल्क और जीएसटी सहित) की अनुमानित लागत के लिए 4 संसाधनों के साथ पीपीईसी सेल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि, पीपीईसी के तहत रखी गई जनशक्ति अपने निर्धारित कार्यों के अनुसार सीबी डिवीजन में काम करना जारी रखेगी। 10 महीने की अवधि के लिए 1.45 करोड़ रुपये, प्रारंभ में 1 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी। यह अवगत कराया गया कि डीआईयू नियमित डेटा विश्लेषण, एआई/एमएल-आधारित विसंगति की पहचान और शमन, वित्तीय/लेखा कमजोरियों के लिए प्रारंभिक चेतावनी अलर्ट और पीआरआई में वित्तीय और बाद के कानूनी जोखिम को कम करने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण जैसे सिस्टम-स्तरीय समाधान जैसे नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप का लाभ उठाएगा।

3.1.4 हालांकि, बैठक के दौरान ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत 7 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

3.1.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और ई-पंचायत एमएमपी के तहत 2024-25 के दौरान 1.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4 संसाधनों के साथ पीपीईसी के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया आरजीएसए के एक केंद्रीय घटक ई-पंचायत एमएमपी के तहत 1.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसकी अवधि 10 महीने है और यह 1 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रहेगी।

3.2 एजेंडा आइटम-2: एनआईआरडी और पीआर में पंचायती राज के लिए उत्कृष्ट विद्यालय (एसओईपीआर) की स्थापना और एसआईआरडी में मानव संसाधन का प्रावधान

3.2.1 महानिदेशक, एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा सीईसी को अवगत कराया गया कि एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज के लिए उत्कृष्ट विद्यालय (एसओईपीआर) की स्थापना और एसआईआरडी में 18.42 करोड़ रुपये की राशि के मानव संसाधन के प्रावधान का प्रस्ताव 17 मार्च, 2023 को आयोजित 2023-24 की पहली सीईसी बैठक में अनुमोदित किया गया था।

3.2.2 इसके बाद, एसआईआरडी में रखे जाने वाले संविदा मानव संसाधनों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई। एसआईआरडी के लिए 24 वरिष्ठ परामर्शदाता और 91 परामर्शदाताओं का चयन किया गया है। परिणाम औपचारिक रूप से आम चुनाव 2024 के पूरा होने के बाद घोषित किया जाएगा। 24 स्कूल स्तर के परामर्शदाताओं का साक्षात्कार संसद चुनावों के तुरंत बाद आयोजित किया जाएगा। उप महानिदेशक, निदेशक, 2 वरिष्ठ सलाहकार और 1 वरिष्ठ लेखा एवं प्रशासनिक समन्वयक, 11 संकाय सदस्य और 4 अन्य

पदों को संसदीय चुनावों के तुरंत बाद प्रकाशित किया जाएगा। नए भर्ती किए गए संविदा मानव संसाधनों के प्रशिक्षण और तैनाती की कार्य योजना से भी सीईसी को अवगत कराया गया।

3.2.3 यह भी बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के माध्यम से भारत को बदलना (TISPRI) नामक एक परियोजना भी वर्ष 2020-21 से NIRD&PR के माध्यम से कार्यान्वयन में है, ताकि कैस्केडिंग मोड में पंचायतों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की निरंतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया जा सके। 8 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ 2023-24 के दौरान TISPRI की निरंतरता को मंजूरी दी गई।

3.2.4 महानिदेशक, NIRD&PR ने SoEPR को जारी रखने और SIRD में मानव संसाधन के प्रावधान का प्रस्ताव रखा। SoEPR में TISPRI को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित वित्तीय निहितार्थ 2024-25 के दौरान 233 मानव संसाधनों (टीआईएसपीआरआई के कर्मचारियों सहित), प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, स्थापना, प्रशासनिक लागत आदि के लिए 31.84 करोड़ रुपये है। उन्होंने एमओपीआर और एसओईपीआर के पोर्टलों पर 9 केंद्रों और एसआईआरडी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आईटी और एमआईएस के लिए 2 परामर्शदाताओं और 9 केंद्रों को प्रशिक्षण रसद और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए 9 प्रशिक्षण प्रबंधकों को बनाए रखने का भी अनुरोध किया। 3.2.5 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और आरजीएसए के केंद्रीय क्षेत्र के तहत 223 मानव संसाधनों के लिए 2024-25 के दौरान 26.93 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ टीआईएसपीआरआई को शामिल करके एसओईपीआर को जारी रखने की मंजूरी दी ताकि मंत्रालय और राज्य को निरंतर समर्थन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, अनुसंधान, पंचायतों की सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण आदि के माध्यम से पंचायतों को मजबूत करने में मदद मिल सके, जैसा कि **अनुबंध-I** में उल्लिखित है। इस वर्ष एनआईआरडी एंड पीआर 9 केंद्रों की सेवा के लिए 3 प्रशिक्षण प्रबंधकों के साथ शुरू होगा। की गई प्रगति के आधार पर, एनआईआरडीपीआर अधिक प्रशिक्षण प्रबंधकों का प्रस्ताव कर सकता है। परियोजना के बाद के वर्षों के लिए निरंतरता और बजटीय समर्थन पर सीईसी द्वारा प्रगति, वास्तविक आवश्यकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा परियोजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत प्रगति की मासिक रिपोर्ट एनआईआरडी एवं पीआर द्वारा एमओपीआर को प्रस्तुत की जाएगी।

3.3 एजेंडा मद-3: राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए आरजीएसए के अंतर्गत 45 दिनों तक का आवासीय फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

3.3.1 मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया गया कि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण परिदृश्य को बदलने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें वर्ष 2030 के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) का स्थानीयकरण, साक्ष्य आधारित विषयगत पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की तैयारी, स्थानिक नियोजन,

पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) का संस्थागतकरण आदि शामिल हैं। इन पहलों को कई पोर्टल और एप्लिकेशन जैसे ई-ग्राम स्वराज, ई-जीएस के साथ पीएफएमएस एकीकरण, जीईएम-ईजीएस एकीकरण, ऑडिट ऑनलाइन, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल, जीपीडीपी डैशबोर्ड, संशोधित पोर्टल पंचायत विकास योजना, स्वामित्व डैशबोर्ड, मेरी पंचायत, जीएस निर्णय आदि के शुभारंभ द्वारा समर्थित किया गया है।

3.3.2 मंत्रालय की ऐसी पहलों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य रूप से पंचायती राज विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। हालांकि, यह देखा गया है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुख्य रूप से वैचारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें पंचायतों और इसकी कार्यात्मकता के विभिन्न पहलुओं पर संरचित प्रशिक्षण को उचित रूप से शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसी पहलों पर उचित रूप से डिज़ाइन किया गया फाउंडेशन कोर्स आवश्यक है। इस कारण से, पंचायती राज प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार के लिए पीआरआई के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए पंचायतों के कामकाज और नई पहलों पर संरचित प्रशिक्षण फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिया जा सकता है।

3.3.3 तदनुसार, आरजीएसए के तहत बीडीओ, पंचायत विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, ग्राम विस्तार अधिकारी, लेखाकार, कर संग्रहकर्ता, रोजगार सहायक, पंचायत इंजीनियरिंग संवर्ग के अधिकारी, ग्राम सेवक/सेविका और पीआरआई में सेवा के लिए विशेष रूप से भर्ती किए गए अन्य अधिकारियों सहित पीआरआई के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए 45 दिनों तक के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर आवासीय फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण का लाभ दे सकते हैं, जिन्हें पंचायतों के साथ परस्पर समन्वय में काम करना है, साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी पंचायतों के काम की देखरेख और समन्वय करेंगे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लागत मानदंड संशोधित आरजीएसए के प्रावधानों के अनुसार होंगे, यानी राज्य स्तर पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 2500 रुपये। इसके अलावा, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले राज्य के भीतर और बाहर के एक्सपोजर दौरे, यदि कोई हों, तो ऐसे दौरों के लिए संशोधित आरजीएसए के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने वार्षिक कार्य योजनाओं में ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रावधान शामिल कर सकते हैं। हालांकि, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक कार्य योजना को पहले ही सीईसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, वहां राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत अनुमोदित प्रशिक्षणों का उपयोग फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां आवश्यक हो, पूरक कार्य योजना भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

3.3.4 सीईसी का निर्णय: सीईसी ने उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार किया और उपरोक्त पैरा 3.3.3 में उल्लिखित विवरण के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया।

4. राज्य एजेंडा:

4.1 सीईसी ने बिहार, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया। पंचायतों को मजबूत करने और योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए सामान्य टिप्पणियां, जैसा कि दूसरी सीईसी बैठक में सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया था, एमओपीआर के संयुक्त सचिव (सीबी) द्वारा एक बार फिर दोहराई गईं, जो इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा की गई अभिनव पहलों को अपनाने की सलाह दी गई।

(ii) कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय राज्यों को कार्यात्मक साक्षरता को प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहिए।

(iii) महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण करते हुए, राज्य को पीआरआई के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अन्य विभागों की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

(iv) पीआरआई के प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के नियमित मूल्यांकन के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

(v) राज्यों को "सरपंच पति" की संस्कृति की जाँच करने के लिए अपने AAP में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण जैसे खरीद मानदंड, बजट और लेखा, कानूनी प्रावधानों पर प्रशिक्षण आदि शामिल करना चाहिए।

(vi) पीआरआई प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय/प्रशिक्षकों/संसाधन व्यक्तियों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और संकाय विकास के मूल्यांकन के लिए कर्नाटक राज्य द्वारा अपनाई गई प्रथा को अन्य राज्यों में भी उपयुक्त रूप से लागू करने की संभावना तलाशी जा सकती है।

(vii) वर्तमान में प्रशिक्षण का फोकस ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर है। ब्लॉक और जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तदनुसार, ब्लॉक और जिला पंचायतों के ई.आर. और पदाधिकारियों के पर्याप्त प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

(viii) राज्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षकों की प्रतिक्रिया और ग्रेडिंग के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करेगा।

(ix) राज्य जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र (बीपीआरसी) की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। 2024-25 के दौरान 100% डीपीआरसी और कम से कम 50% बीपीआरसी को कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए।

(x) राज्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समय पर धनराशि जारी करने के लिए उपलब्ध धन के समय पर उपयोग के लिए रणनीति तैयार करेगा।

(xi) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनाने के लिए कर्नाटक एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल की जांच करने की सलाह दी जाती है।

(xii) सीईसी ने राज्यों को प्रशिक्षण प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अन्य राज्य विभागों के साथ समन्वय करने की सलाह दी।

(xiii) प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन सत्र से शुरू होने चाहिए और समापन सत्र के साथ होना चाहिए। स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए।

4.1.1 महानिदेशक, एनआईआरडी एंड पीआर ने कहा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर एक्सपोजर विजिट आरजीएसए का बहुत महत्वपूर्ण घटक है और सुझाव दिया कि इन विजिट की योजना संरचित तरीके से बनाई जानी चाहिए। इसकी शुरुआत अच्छे अभ्यासों के बारे में एक प्रस्तुति, फील्ड विजिट और सीखे गए सबक पर प्रतिभागियों से फीडबैक के साथ-साथ अपनी पंचायतों में इसे दोहराने की संभावनाओं और रणनीति के साथ की जा सकती है।

4.2 बिहार: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.2.1 बिहार राज्य में 2023-24 के दौरान आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा सीईसी द्वारा की गई और यह पाया गया कि पिछले वर्ष में लक्षित प्रशिक्षणों का केवल 30% ही हासिल किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य के पास अप्रयुक्त शेष राशि यानी लगभग 76 करोड़ रुपये भी उपलब्ध थे। सचिव, एमओपीआर/सीईसी के अध्यक्ष ने बिहार राज्य में आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।

4.2.2 तदनुसार, सीईसी ने एएपी 2024-25 की प्रस्तावित गतिविधियों में से 50% को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसे राज्य अधिकार प्राप्त समिति (एसईसी) द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और राज्य को प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रस्तावित प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का कम से कम 25% सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन सितंबर, 2024 के अंत में किया जाएगा। इसके बाद, इस पर की गई प्रगति के आधार पर, सीईसी के निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

4.2.3 बिहार राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-II** में है।

4.3 गुजरात: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.3.1 पंचायती राज मंत्रालय के सचिव/सीईसी के अध्यक्ष ने आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने राज्य को 31 मई, 2024 तक 2024-25 का प्रशिक्षण कैलेंडर प्रस्तुत करने और 15 जून, 2024 से प्रशिक्षण शुरू करने को कहा। तदनुसार, सीईसी ने 2024-25 के लिए राज्य एएपी की प्रस्तावित गतिविधियों में से 50% को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, इस शर्त के साथ कि राज्य प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा और 30 सितंबर, 2024 तक कम से कम 50,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन सितंबर, 2024 के अंत में किया जाएगा। इसके बाद, उस पर की गई प्रगति के आधार पर, सीईसी के निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

4.3.2. गुजरात राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध-III** में है।

4.4 ओडिशा: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.4.1 ओडिशा राज्य के प्रतिनिधियों ने अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए की गई नई पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जैसे कि जीपी कार्यालयों में बैंक आउटलेट और ग्राहक सेवा बिंदु, महिला सभा और बाल सभा की अधिसूचना, ग्राम सभा की तिथि, समय और एजेंडे के बारे में मोबाइल पर संदेश और 30 जिला मुख्यालयों, 314 ब्लॉक मुख्यालयों और 6794 जीपी में ओएसडब्ल्यूएएन नेटवर्क आदि के माध्यम से वीसी सुविधाएं।

4.4.2 यह भी बताया गया कि एसआईआरडी एंड पीआर ने गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी तैयार करने और विषयगत जीपी तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूएनडीपी, यूनिसेफ और यूएनएफपीए), राष्ट्रीय संगठनों (प्रदान, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आदि) और सरकारी निकायों (ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण की वास्तविक समय निगरानी के लिए 'दख्याता' नामक पोर्टल का विवरण भी प्रस्तुत किया।

4.4.3 यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य ने बीआईएस के माध्यम से पंचायतों के आईएसओ प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों का विकास किया जा रहा है। सीईसी ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए ओडिशा राज्य द्वारा की गई पहल की सराहना की और उनके द्वारा की गई प्रत्येक नई पहल पर एक अवधारणा नोट प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्रॉस लर्निंग और प्रतिकृति के लिए प्रसारित किया जा सके।

4.4.4 ओडिशा ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 112.45 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 102.395 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(i) परस्पर सहायता: राज्य ने 950 ग्राम पंचायतों के लिए परस्पर सहायता का प्रस्ताव दिया है, जिसमें जीपीडीपी में सहायता के लिए 450 ग्राम पंचायतें @ 20,000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत और आईएसओ प्रमाणन के लिए 500 ग्राम पंचायतें @ 30,000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत शामिल हैं। 950 ग्राम पंचायतों के लिए सहायता सहायता 20,000 रुपये प्रति ग्राम पंचायत की दर से स्वीकृत की गई। आईएसओ प्रमाणन की शेष राशि की व्यवस्था राज्य द्वारा पंचायतों के ओएसआर, आईईसी और संशोधित आरजीएसए के पीएमयू घटकों से की जाएगी, जैसा कि पत्र संख्या एम–11015/107/2023-सीबी, दिनांक 10 अप्रैल 2023 के माध्यम से सूचित किया गया है।

(ii) पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) : राज्य ने 100 पीएलसी के लिए प्रस्ताव रखा। हालांकि, 2023-24 के दौरान अनुमोदित 60 पीएलसी की कोई प्रगति की सूचना नहीं दी गई। इसलिए, 2024-25 के दौरान 4.20 करोड़ रुपये की राशि के लिए केवल 60 पीएलसी को मंजूरी दी गई। **(iii) अतिरिक्त प्रस्ताव**: राज्य ने PESA के लिए राज्य स्तर पर PMU की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। चूंकि, यह प्रस्ताव AAP का हिस्सा नहीं था, इसलिए राज्य को आगे की जांच के लिए एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

4.4.5. ओडिशा राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध–IV** में है।

4.5 पंजाब: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.5.1 पंजाब राज्य में 2023-24 के दौरान आरजीएसए के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा सीईसी द्वारा की गई और पाया गया कि पिछले वर्ष में लक्षित प्रशिक्षणों में से केवल 6% ही पूरे हुए थे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि यानी लगभग 26.496 करोड़ रुपये भी उपलब्ध थे। राज्य को 31 मई, 2024 तक 2024-25 का प्रशिक्षण कैलेंडर प्रस्तुत करने और 15 जून, 2024 से प्रशिक्षण शुरू करने के लिए भी कहा गया।

4.5.2 2023-24 के दौरान आरजीएसए के तहत राज्य के अपर्याप्त प्रदर्शन को देखते हुए, सीईसी ने 2024-25 के लिए राज्य एएपी की प्रस्तावित गतिविधियों के 50% को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी, इस शर्त के साथ कि प्रस्तावित प्रशिक्षण और अन्य प्रस्तावित गतिविधियों का कम से कम 25% सितंबर, 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति का आकलन सितंबर, 2024 के अंत में किया जाएगा। इसके बाद, उस पर की गई प्रगति के आधार पर, सीईसी के निर्णय की समीक्षा की जाएगी।

4.5.3 पंजाब राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश **अनुबंध–V** में है।

4.6 राजस्थान: वार्षिक कार्य योजना 2024-25

4.6.1 राजस्थान ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 206.66 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित की। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की और निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 162.95 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी:

(i) क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण घटक: राज्य ने 1725721 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा; हालांकि, सीईसी ने पाया कि यह संख्या अधिक है और पहली बार में 5,25,720 साथिनों सहित 8,77,870 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने की सिफारिश की। एक बार इन साथिनों को प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद, राज्य फिर से साथिनों को और अधिक प्रशिक्षण जोड़ने के लिए एमओपीआर से संपर्क कर सकता है।

(ii) पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) : समिति ने 66 पीएलसी को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। 66 पीएलसी की पूर्णता स्थिति प्रस्तुत करने के बाद ही नए पीएलसी पर विचार किया जाएगा।

(iii) पंचायत भवन की मरम्मत: राज्य ने आगे बढ़ाने की गतिविधि के रूप में 42 पंचायत भवनों की मरम्मत के लिए 2.13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। इसे मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि आरजीएसए की संशोधित योजना के तहत पंचायत भवनों की मरम्मत का कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) कंप्यूटर की खरीद: राज्य ने इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (आईजीपीआरएस) - एसआईआरडी, राजस्थान में 80 नए कंप्यूटर, 14 प्रोजेक्टर, 15 मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, 8 हाई स्पीड स्कैनर, 8 पॉइंटर्स, स्मार्ट क्लास रूम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को समिति ने मंजूरी नहीं दी। हालांकि, राज्य एसपीआरसी की आईईसी//पीएम/ओ एंड एम लागत के तहत आवंटन से इसे खरीद सकता है।

(v) जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद: राज्य ने जिला स्तर पर प्रशिक्षण के लिए 0.146 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा। समिति द्वारा स्वीकृत वास्तविक प्रशिक्षण के अनुसार समिति द्वारा 0.140 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई।

(vi) ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती: राज्य ने ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए 0.496 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा।

4.6.2 राजस्थान राज्य की वार्षिक कार्य योजना का बजट सारांश अनुबंध-VI पर है।

अनुबंध-I

वर्ष 2024-25 के लिए आरजीएसए के तहत एनआईआरडीपीआर में पंचायती राज में उत्कृष्टतापूर्ण विद्यालयों (एसओईपीआर) के लिए बजट को मंजूरी दी गई

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	व्यय की मद	प्रस्तावित			स्वीकृत	
		इकाई	यूनिट लागत प्रति माह	लागत	इकाई	लागत
(ए) एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर के स्कूल स्तर पर मानव संसाधन आदि की प्रस्तावित लागत						
1	SoEPR के प्रमुख के रूप में उप महानिदेशक को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	1	2.60	31.20	1	31.20
2	एसआईआरडीपीआर को सुदृढ़ करने के लिए पीएमयू के निदेशक को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	1	1.50	18.00	1	18.00
3	एसोसिएट प्रोफेसरों को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	2	2.25	54.00	2	54.00
4	सहायक प्रोफेसरों को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	9	1.20	129.60	9	129.60
5	वरिष्ठ परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	2	1.20	28.80	0	0.00
6	परामर्शदाताओं को पारिश्रमिक	20	1.00	240.00	20	240.00
7	जूनियर कंसल्टेंट्स को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	2	0.80	19.20	0	0.00
8	लेखा अधिकारी का पारिश्रमिक (8 माह के लिए)	1	0.75	9.00	1	9.00
9	लेखा कर्मचारियों को पारिश्रमिक	3	0.40	14.40	3	14.40
10	प्रशिक्षण प्रबंधकों को पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	9	0.40	43.20	3	43.20
11	परियोजना सहायक का पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	1	0.30	3.60	1	3.60
12	मल्टी-टास्क असिस्टेंट का पारिश्रमिक (8 महीने के लिए)	5	0.20	12.00	5	12.00
	एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर के स्कूल स्तर पर मानव संसाधन की प्रस्तावित लागत	**56**		**603.00**	**46**	**350.80**

क्र. सं.	व्यय की मद	प्रस्तावित			स्वीकृत	
		इकाई	यूनिट लागत प्रति माह	लागत	इकाई	लागत
13	एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर के स्कूल स्तर पर टीए/डीए आदि सहित स्थापना लागत।		एकमुश्त	75.00	--	75.00
14	एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर के स्कूल स्तर पर कार्यालय स्थान (किराए पर लिया जाएगा) को फर्नीचर, कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों और अन्य उपकरणों से सुसज्जित करना।		एकमुश्त	150.00	--	150.00
15	अनुसंधान, कार्य अनुसंधान और एसआईआरडीपीआर और पीआरआई के कामकाज का आकलन		एकमुश्त	50.00	--	50.00
16	**(क) एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर के स्कूल स्तर के लिए कुल बजट**	**56**		**878.00**	**46**	**625.80**
(ख) अतिरिक्त जनशक्ति आदि के साथ एसआईआरडीपीआर को मजबूत करने के लिए गतिविधियों की प्रस्तावित लागत।						
17	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर सीबी सलाहकार एवं राज्य गुणवत्ता मॉनिटर की टीम का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ सीबी परामर्शदाता एवं राज्य गुणवत्ता मॉनिटर को पारिश्रमिक (10 महीने के लिए)	24	0.75	216.00	24	180.00
18	एसआईआरडीपीआर के लिए सीबी परामर्शदाता और राज्य गुणवत्ता मॉनिटरों को पारिश्रमिक (10 महीने के लिए)	148	0.60	1065.60	148	888.00
19	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सीबी परामर्शदाता एवं राज्य गुणवत्ता मॉनिटर की टीमों के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर एवं बाह्य उपकरणों, अन्य उपकरणों आदि की लागत		एकमुश्त	250.00	--	250.00
20	टीए/डीए आदि सहित स्थापना		एकमुश्त	175.00	--	175.00

क्र. सं.	व्यय की मद	प्रस्तावित			स्वीकृत	
		इकाई	यूनिट लागत प्रति माह	लागत	इकाई	लागत
	लागत।					
21	**(ख) अतिरिक्त जनशक्ति आदि के साथ एसआईआरडीपीआर को मजबूत करने के लिए घटक के लिए कुल बजट।**	**172**		**1706.60**	**172**	**1493.00**
(ग) एसओईपीआर (पूर्व में टीआईएसपीआरआई के अधीन) में एवी यूनिट, प्रशिक्षण आदि के लिए गतिविधियों की प्रस्तावित लागत						
22	निर्माता	2	0.90	21.60	2	21.60
23	निर्देशक डिजाइनर	1	0.90	10.80	1	10.80
24	वीडियो संपादक	1	0.50	6.00	1	6.00
25	वीडियोग्राफर	1	0.55	6.60	1	6.60
	SoEPR में AV यूनिट में HR की कुल लागत	**5**		**45.00**	**5**	**45.00**
26	ई-लर्निंग सामग्री का विकास, ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम / परियोजना कर्मचारियों के लिए डेस्कटॉप / लैपटॉप सहित ए.वी. लैब उपकरणों की खरीद और रखरखाव		एकमुश्त	24.00	--	24.00
27	दूरस्थ शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम और हैदराबाद विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क के भुगतान सहित शिक्षण सामग्री का अद्यतनीकरण		एकमुश्त	15.00	--	15.00
28	केस स्टडीज़ / सर्वोत्तम अभ्यास दस्तावेज़ों का विकास		एकमुश्त	50.00	--	50.00
29	विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाएं		एकमुश्त	130.00	--	130.00
30	एनआईआरडीपीआर में दो दिवसीय एसईसी कॉन्क्लेव		एकमुश्त	25.00	--	0.00
31	ऑफ कैंपस प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संकाय/परियोजना कर्मचारियों के लिए टीए और डीए तथा एमआरपी के प्रमाणीकरण के लिए मास्टर मूल्यांकनकर्ताओं का टीए और मानदेय + अन्य विविध		एकमुश्त	60.00	--	60.00

क्र. सं.	**व्यय की मद**	**प्रस्तावित**			**स्वीकृत**	
		इकाई	**यूनिट लागत प्रति माह**	**लागत**	**इकाई**	**लागत**
	व्यय					
32	सम्मेलन / कार्यशाला कार्यवाही / प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री का मुद्रण और प्रकाशन		एकमुश्त	10.00	--	10.00
33	एसओईपीआर के तहत 9 केंद्रों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की लागत 240 x 40 = 9600 प्रतिभागियों को कवर करेगी		एकमुश्त	240.00	--	240.00
	(ग) एसओईपीआर (पूर्व में टीआईएसपीआरआई के अधीन) की सीपीआरडीपी और एसएसडी इकाई में एवी इकाई, मानव संसाधन, प्रशिक्षण आदि की प्रस्तावित लागत	**5**	**--**	**599.00**	**5**	**574.00**
	2024-25 के लिए एनआईआरडीपीआर में एसओईपीआर का कुल बजट [(क), (ख) और (ग) का कुल]	**233**	**--**	**3183.60**	**223**	**2692.80**

अनुबंध-II

बिहार राज्य की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	घटक	राशि
1.	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**	
i	रिफ्रेशर प्रोग्राम प्रशिक्षण (144005 प्रतिभागी)	19.273
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (158941 प्रतिभागी)	35.472
iii	विषयगत प्रशिक्षण – सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (165195 प्रतिभागी)	49.735
iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (78893 प्रतिभागी)	14.114
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (18593 प्रतिभागी)	4.198
	कुल सीबी एंड टी	**122.792**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.10
ii	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन	0.10
iii	प्रशिक्षण सामग्री	0.20
iv	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.10
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (2 दिनों के लिए 500 प्रतिभागी)	0.35
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (6 दिनों के लिए 2000 प्रतिभागी)	6.00
vii	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (570 जीपी)	1.14
viii	पंचायत शिक्षण केंद्र (पीएलसी) का विकास (50 पीएलसी)	3.50
ix	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (20 एमटी)	0.025
x	पीआरआई (एमडीपी) के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (5 दिनों के लिए 9500 पर 200 प्रतिभागी)	0.95
	सीबी&टीअन्य गतिविधियों का योग	**12.465**
3.	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना के लिए प्रावधान (30 रुपये प्रति	0.09

क्र. सं.	घटक	राशि
	वर्ग फुट (1 इकाई)	
ii	डीपीआरसी भवन निर्माण का प्रावधान (2023-24 का 1 यूनिट सी.ओ.)	2.00
iii	किराये के भवन में डी.पी.आर.सी. की स्थापना का प्रावधान (32 डी.पी.आर.सी.)	1.92
iv	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.766
v	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (200 बीपीआरसी)	7.20
vi	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.449
	संस्थागत अवसंरचना की कुल संख्या	**12.425**
4.	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.84
ii	डीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (38 डीपीआरसी)	7.60
iii	बीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (200 बीपीआरसी)	8.40
	संस्थागत अवसंरचना की कुल संख्या	**16.84**
5.	**पंचायत भवन के लिए समर्थन**	
i	पंचायत भवन का निर्माण (136 कैरी फॉरवर्ड)	27.20
ii	पंचायत भवन के साथ सीएससी का सह-स्थान (250 कैरी फॉरवर्ड)	10.00
	ग्राम पंचायत भवनों की कुल संख्या	**37.20**
6.	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (38 डीपीएमयू)	4.104
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (200 बीपीएमयू)	9.60
	पीएमयू की कुल संख्या	**13.968**
7.	***पंचायतों का ई-सक्षमीकरण***	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस)	1.335
	ई-सक्षमीकरण की कुल संख्या	**1.335**
8.	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक)	1.00
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या	**1.00**
9.	**अभिनव गतिविधि**	
i	स्मार्ट ग्राम पंचायत: बेगूसराय और रोहतास जिले के 37 प्रखंडों की 455 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति (2023-24 का कैरी ओवर) *	1.76
	कुल नवीन गतिविधि	**1.76**
10.	**आय विकास एवं आय वृद्धि के लिए परियोजना-आधारित (प्रत्येक**	

क्र. सं.	घटक	राशि
	मामले में 2-10 करोड़ रुपये तक)	
i	9500 प्लम्बर का प्रशिक्षण (कैरी ओवर)	4.75
	उप कुल	**4.75**
	1 से 9 तक का उप योग	**224.535**
11.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	4.49
12.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	3.37
	कुल योजना का आकार	**232.395**

* आरजीएसए के राज्य घटक के तहत अनुमोदित रोहतास जिले के 19 ब्लॉकों के 226 ग्राम पंचायतों के लिए इसकी अनुशंसा की जा सकती है। बेगूसराय के 18 ब्लॉकों के 229 ग्राम पंचायतों को आरजीएसए के राज्य घटक से केंद्रीय घटक में शामिल किया गया है।

अनुबंध-III

गुजरात राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश (राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	राशि
1	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी)**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (21,000 प्रतिभागी)	4.20
ii	पुनश्चर्या कार्यक्रम प्रशिक्षण (26,292 प्रतिभागी)	3.05
iii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (40,533 प्रतिभागी)	9.25
iv	विषयगत प्रशिक्षण – सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र समर्थक प्रशिक्षण (96,099 प्रतिभागी)	9.61
v	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (60,674 प्रतिभागी)	6.38
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (51,487 प्रतिभागी)	6.66
	सीबीएंडटी का उप-योग	**39.15**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना*	6.64
ii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
iii	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन	0.10
iv	प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	0.20
v	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (15,183 प्रतिभागी)	5.31
vi	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (1,000 प्रतिभागी)	2.50
vii	33 पीएलसी के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास	2.31
viii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
	सीबीएंडटी के अंतर्गत अन्य गतिविधियों का उप-योग	**17.26**
3	**संस्थागत अवसंरचना**	
i	किराए के भवन में एसपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (1 इकाई)	0.09
ii	किराए के भवन में डीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (33 डीपीआरसी के लिए)	1.98

क्र.सं.	घटक	राशि
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.032
iv	किराए के भवन में बीपीआरसी की स्थापना का प्रावधान (215 बीपीआरसी)	7.74
v	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की किराये पर व्यवस्था	0.30
	संस्थागत अवसंरचना की कुल संख्या	**10.142**
4	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.32
ii	डीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (33 डीपीआरसी)	3.45
iii	बीपीआरसी के लिए आवर्ती लागत (215 बीपीआरसी)	10.7
	आवर्ती लागत संस्थागत बुनियादी ढांचे का कुल योग	**14.465**
5	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (33 डीपीएमयू)	3.643
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (248 बीपीएमयू)	11.90
	कुल पीएमयू	**15.81**
6	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो	1.00
	दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल संख्या	**1.00**
7	**PESA क्षेत्रों को विशेष सहायता**	
i	पेसा क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक के लिए मानदेय (1 इकाई)	0.072
ii	पेसा जिले में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय (13 पेसा जिले)	0.468
iii	पेसा ब्लॉक में 1 पेसा समन्वयक का मानदेय (52 पेसा ब्लॉक)	1.56
iv	1 ग्राम सभा मोबिलाइज़र / पेसा जीपी का मानदेय (2678)	12.85
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (5 जीपी के क्लस्टर के लिए)	0.804
	पेसा क्षेत्रों के विशेष सहायता की कुल राशि	**15.75**
8	गांधीनगर/अहमदाबाद में एसपीआरसी/डीपीआरसी का निर्माण**	2.00
i	**एसपीआरसी/डीपीआरसी निर्माण की कुल संख्या**	**2.00**
9	**नवीन गतिविधि**	
i	पंचायतों में सेवा प्रदायगी	0.72

क्र.सं.	घटक	राशि
	कुल नवीन गतिविधि	**0.72**
	1 से 9 तक का उप कुल	**116.30**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.32
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.74
	कुल योजना का आकार	**120.36**

* शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना - 3320 जीपी के लिए अनुशंसित किया जा सकता है। 4 जिलों को कवर करने वाली 2885 पीईएसए जीपी। अन्य 29 जिलों के लिए प्रति जिले 15 की सिफारिश की गई है। यानी 29X15=435

** 1 डीपीआरसी के निर्माण के लिए अनुशंसित किया जा सकता है, राज्य इसकी स्थापना के लिए स्थान का विवरण साझा कर सकते हैं।

अनुबंध-IV

ओडिशा राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	राशि
1.	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (4298 प्रतिभागी)	12.130
ii	पुनश्चर्या प्रशिक्षण (10799 प्रतिभागी)	4.850
iii	पंचायत विकास योजना के लिए प्रशिक्षण (45500 प्रतिभागी)	5.095
iv	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण - (153770 प्रतिभागी)	16.052
v	विशेष प्रशिक्षण (95500 प्रतिभागी)	12.965
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (प्रशिक्षण कार्यशालाओं सहित 16560 प्रतिभागी)	3.015
	सीबी एंड टी उप कुल योग	**54.107**
2.	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	950 ग्राम पंचायतों के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना	1.900
ii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.050
iii	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.200
iv	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (3 दिनों के लिए 1500 प्रतिभागी)	1.575
v	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (5 दिनों के लिए 1000 प्रतिभागी)	2.500
vi	60 पीएलसी के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास (कैरी ओवर)	4.200
vii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.100
viii	प्रबंधन विकास कार्यक्रम (3 दिनों के लिए 7811 पर 500 प्रतिभागी)	1.171
	अन्य सीबीएंडटी का उप-योग	**11.696**
3.	**संस्थागत अवसंरचना**	
3.1	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.840
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (21 डीपीआरसी के लिए)	4.200

क्र.सं.	घटक	राशि
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भर्ती	0.150
iv	बीपीआरसी आवर्ती लागत	3.240
	आवर्ती लागत का कुल योग	**8.43**
3.2	संस्थागत अवसंरचना (अवसंरचना)	
i	तटीय क्षेत्र में 3 डीपीआरसी के लिए डीपीआरसी (नया) का निर्माण	6.00
ii	6 डीपीआरसी के लिए डीपीआरसी (कैरी फॉरवर्ड) का निर्माण	6.00
	सीबीएंडटी के लिए कुल बुनियादी ढांचा	**12.00**
4	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) 1 एसपीएमयू के लिए	0.204
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) 30 डीपीएमयू के लिए	1.412
	कुल पीएमयू	**1.616**
5	**पेसा क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता**	
i	1 राज्य समन्वयक के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार का पारिश्रमिक	0.072
ii	13 जिला समन्वयक के लिए PESA जिले में PESA समन्वयक का पारिश्रमिक	0.468
iii	118 ब्लॉक समन्वयक के लिए PESA ब्लॉक में PESA समन्वयक का पारिश्रमिक	3.256
iv	1 ग्राम सभा मोबिलाइज़र / PESA GP का मानदेय	4.160
v	385 ग्राम सभा अभिविन्यास के लिए ग्राम सभा अभिविन्यास	0.577
	PESA क्षेत्रों के लिए कुल लागत	**8.533**
6	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा**	
i.	राज्य स्तर पर स्टूडियो	1.00
ii.	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) (प्रति सीट 1.5 लाख रुपये) 70 एसआईटी के लिए	1.050
	सैटकॉम या आईपी आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधाओं की कुल संख्या	**2.050**
7	**ई.पंचायतों को सक्षम बनाना**	
i	PESA GPs में 100 GPs के लिए कंप्यूटर और सहायक उपकरण (प्रिंटर, स्कैनर और UPS)	**0.50**
	पंचायतों को ई-सक्षम बनाने की कुल लागत	**0.50**
	उप योग	98.932
8	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.978
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.483

क्र.सं.	घटक	राशि
	कुल योजना	**102.395**

अनुबंध-V

पंजाब राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	राशि
1	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (100000 प्रतिभागी)	30.000
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (27500 प्रतिभागी)	2.825
iii	विषयगत प्रशिक्षण – सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (26000 प्रतिभागी)	2.600
iv	विशेष प्रशिक्षण (3000 प्रतिभागी)	0.550
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (29000 प्रतिभागी)	3.500
	उप कुल (सीबी और टी)	**39.475**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	प्रशिक्षण मॉड्यूल	0.100
ii	प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन	0.060
iii	प्रशिक्षण सामग्री	0.200
iv	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायक सहायता (1000 जीपी)	2.000
v	प्रशिक्षण का मूल्यांकन	0.050
vi	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (5000 प्रतिभागी)	1.750
vii	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (1000 प्रतिभागी)	2.500
viii	पंचायत शिक्षण केंद्र का विकास (20 पीएलसी)	1.400
ix	एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (5 दिनों के लिए प्रति प्रतिभागी 2500 प्रति दिन की दर से 200 एमटी के लिए)	0.250
x	पीआरआई (एमडीपी) संस्थानों के लिए नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम: (आईआईटी रोपड़, आईआईएम अमृतसर और एस.एल.आई.ई.टी संगरूर) (1000 प्रतिभागी)	3.900
	सीबी एंड टी उपकुल	**12.210**
	कुल सीबी एंड टी (1+2)	**51.685**

क्र.सं.	घटक	राशि
3	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 एसपीआरसी)	0.840
ii	अतिरिक्त संकाय पर आवर्ती लागत और डीपीआरसी का रखरखाव (23 डीपीआरसी)	2.033
iii	अतिरिक्त संकाय पर आवर्ती लागत और बीपीआरसी का रखरखाव (153 बीपीआरसी)	6.426
	संस्थागत बुनियादी ढांचे की कुल लागत (आवर्ती लागत)	**9.299**
4	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (23 डीपीएमयू)	2.484
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन (153 बीपीएमयू)	6.976
	कुल पीएमयू	**9.724**
5	**ई-सक्षमता**	
i	कंप्यूटर की खरीद (300 नए)	1.500
	कुल ई-सक्षमता	**1.500**
उप कुल (क्र.सं. 1 से 5)		**72.208**
6.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.444
7.	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.083
	कुल योजना आकार	**74.735**

अनुबंध-VI

राजस्थान राज्य की वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
1	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण**	
i	सामान्य अभिमुखीकरण/प्रेरण प्रशिक्षण (128009 प्रतिभागी)	30.709
ii	जीपीडीपी/बीपीडीपी/डीपीडीपी के लिए प्रशिक्षण (111677 प्रतिभागी)	11.655
iii	विषयगत प्रशिक्षण - सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का स्थानीयकरण/क्षेत्र सक्षमकर्ता प्रशिक्षण (26738 प्रतिभागी)	8.382
iv	विशेष प्रशिक्षण प्रशिक्षण (15328 प्रतिभागी)	3.462
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (साथिनों के प्रशिक्षण सहित 596118 प्रतिभागी)	28.221
	उप-योग (सीबी एंड टी)	**82.428**
2	**क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ**	
i	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना (565 जीपी)	1.130
ii	राज्य के भीतर एक्सपोजर विजिट (4 दिनों के लिए 2400 प्रतिभागियों के लिए)	3.36
iii	राज्य के बाहर एक्सपोजर विजिट (7 दिनों के लिए 250 प्रतिभागियों के लिए)	0.875
iv	66 पीएलसी के लिए पंचायत लर्निंग सेंटर (पीएलसी) का विकास	4.620
v	अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक (192 प्रतिभागियों के लिए)	0.144
vi	नेतृत्व प्रबंधन विकास कार्यक्रम (54 @5000 5 दिनों के लिए)	0.135
	सीबी एंड टी का उपकुल	**10.264**
	सीबी एंड टी कुल (1+2)	**92.692**
3	**संस्थागत अवसंरचना (निर्माण)**	
i	डी.पी.आर.सी. का निर्माण (जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में 3 नए डी.पी.आर.सी.)	**4.00**
	संस्थागत अवसंरचना	**4.00**
4	**पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन**	
i	पंचायत भवन का निर्माण- (10 कैरी फॉरवर्ड)	2.40

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
ii	सीएससी का सह-स्थापन - (16 कैरी फॉरवर्ड)	0.33
iii	पंचायत भवन की मरम्मत (42 जीपी) कैरी ओवर	2.13
	कुल पंचायत अवसंरचना	**4.86**
5	**पेसा क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता**	
i	राज्य स्तरीय परामर्शदाता (1 राज्य समन्वयक) के लिए पारिश्रमिक	0.072
ii	पेसा जिले में पेसा समन्वयक का पारिश्रमिक (9 जिला समन्वयक)	0.324
iii	पेसा ब्लॉक में पेसा समन्वयक का पारिश्रमिक (64 ब्लॉक समन्वयक)	1.920
iv	1 ग्राम सभा मोबिलाइजर/पेसा जीपी का मानदेय (1751 ग्राम सभा मोबिलाइजर)	8.404
v	ग्राम सभा अभिमुखीकरण (350 क्लस्टर)	0.525
	PESA क्षेत्रों के लिए कुल सहायता	**11.245**
6	**संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)**	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.840
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (20 लाख / डीपीआरसी / वर्ष) (48 डीपीआरसी)	4.992
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा और उपकरणों की खरीद	0.140
iv	बीपीआरसी आवर्ती लागत (365 बीपीआरसी)	15.330
v	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और उपकरणों की खरीद	0.407
	कुल आवर्ती लागत	**21.709**
7	**कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)**	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (1 एसपीएमयू)	0.264
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (48 डीपीएमयू)	4.806
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (365 बीपीएमयू)	15.60
	कुल पीएमयू	**20.670**
8	**सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा।**	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो 1 राज्य स्तर पर स्टूडियो (कैरी ओवर)	1.00
	केल सैटकॉम	**1.00**
9	**आर्थिक विकास और आय वृद्धि के लिए परियोजना आधारित समर्थन**	

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा स्वीकृत राशि
i	अधिक पर्यटक वाले क्षेत्रों में इको पर्यटन को बढ़ावा देना (आगे भी जारी रखना)	1.265
	आर्थिक परियोजनाओं की कुल संख्या	**1.265**
	उप कुल (क्र. सं. 1 से 9)	**157.441**
10	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.148
11	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.361
	कुल योजना आकार	**162.95**

***

अनुबंध-क

दिनांक 24 मई, 2024 को आयोजित संशोधित आरजीएसए की सीईसी बैठक के प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर):

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री विवेक भारद्वाज	अध्यक्ष एवं सचिव
2.	डॉ. चन्द्रशेखर कुमार	अपर सचिव
3.	श्री विकास आनंद	संयुक्त सचिव
4.	श्री आलोक प्रेम नगर	संयुक्त सचिव
5.	डॉ. बिजय कुमार बेहरा	आर्थिक सलाहकार
6.	श्री राजेश कुमार सिंह	संयुक्त सचिव
7.	सुश्री तनुजा ठाकुर खलको	संयुक्त सचिव
8.	श्री रमित मौर्य	निदेशक

लाइन मंत्रालय की सूची

क्र.सं.	नाम	मंत्रालय/ संस्था
1.	श्री एम.के. मिश्रा, निदेशक सिंह, निदेशक	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
2.	श्री उमेश प्रताप	शिक्षा मंत्रालय
3.	श्री अमित भारद्वाज, उप. सलाहकार	नीति आयोग
4.	श्री अवनीश अग्रवाल, अवर	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
5.	श्री भीम प्रकाश, अवर सचिव	ग्रामीण विकास मंत्रालय
6.	सचिव श्री सेवक पॉल, अवर सचिव	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
7.	श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता	एनआईसी

प्रतिभागी राज्यों की सूची:

क्र.सं.	नाम	राज्य
1.	डॉ. जी नरेंद्र कुमार, महानिदेशक	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

क्र.सं.	नाम	राज्य
2.	डॉ. अंजन कुमार भांजा, एसोसिएट प्रोफेसर	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
3.	श्री दिलीप कुमार पाल, वरिष्ठ परामर्शदाता और परियोजना टीम लीडर	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
4.	श्री बलबीर सिंह, एएफए, प्रभारी	एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद
5.	श्री मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव	पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार
6.	श्री हितेश कोया, विकास आयुक्त/सचिव	पंचायती राज विभाग, गुजरात सरकार
7.	श्री. नीलकंठ मटर, महाप्रबंधक	पंचायती राज विभाग, गुजरात सरकार
8.	श्री अमित कुमार, जे.डी.सी.-सह-सचिव	पंचायती राज विभाग, पंजाब सरकार
9.	श्री हरमिनदीप सिंह, उप निदेशक, एसआईआरडी	पंचायती राज विभाग, पंजाब सरकार
10.	श्री रवि जैन, सचिव	पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
11.	श्री गुरदर्शन सिंह रमाना, उप निदेशक	पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
12.	श्री सुशील कुमार लोहानी, प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग, ओडिशा सरकार
13.	श्री सुरेंद्र कुमार मीना, निदेशक	एसआईआरडी, ओडिशा सरकार
14.	श्रीमती अमिता पात्रा, उपनिदेशक	एसआईआरडी, ओडिशा सरकार

***